भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 189
04 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

शस्त्रों का निर्यात

***189 डॉ. रमापति राम त्रिपाठी :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शस्त्रों, गोला-बारूद और अस्त्र-शस्त्र प्रणालियों का विकासशील और अर्ध-विकसित देशों को निर्यात करने का कोई विचार है अथवा प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है ; और

(घ) क्या सरकार ने शस्त्रों का निर्यात करने वाले देशों का कोई तुलनात्मक लागत-अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

लोक सभा में दिनांक 04 मार्च, 2020 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 189 (9वीं स्थिति) के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): हमारी सशस्त्र सेनाओं की आवश्कयता को पूरा करने हेतु रक्षा उत्पादन में आत्म-निर्भरता सामरिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टि से अनिवार्य है । इसके अलावा, घरेलू रक्षा विनिर्माण पारितंत्र का विस्तार करने और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की दिशा में मौजूदा निर्यात नियंत्रण विनियमों के अनुसार मित्र देशों (एफएफसी) को रक्षा प्लेटफार्मों और उपस्कर के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं । रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात प्राधिकार जारी करने के दौरान लिए गए समय में कमी करना शामिल है । एफएफसी को इन प्लेटफार्मों/ उपस्करों का निर्यात/आपूर्ति वाणिज्यिक शर्तों अथवा लाइन ऑफ क्रेडिट, इत्यादि का अनुपालन करते हुए की जाती है । इस मामले में सामरिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ऐसे देशों की सूची का प्रकटीकरण नहीं किया जाता है । रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) किसी उत्पाद का सीधे तौर पर निर्यात नहीं करता है और उसने इस संबंध में सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है । सरकार ने शस्त्रों का निर्यात करने वाले देशों का कोई तुलनात्मक लागत-अध्ययन नहीं किया है ।

***